

संतोष कुमार गंगवार संतोष कुमार गंगवार
जोसेफ (राज्य सभा) के पटल पर खेव जाने के लिये
जोसेफ प्रमोदी

संतोष कुमार गंगवार Santosh Kumar Gangwar

खसकराम मुनी प्रवक्तृ प्रभारी
Minister of State for Textiles (Independent Charge)

भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi

REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 110]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

का.आ. 126(अ).—जबकि केन्द्र सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) धारा 3 की उपधारा (1) के तहत ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2013 के का.आ. 360 (अ) द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और, जबकि केन्द्र सरकार स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि पटसन पैकिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों अथवा उसके कुछ प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में अनिवार्य है;

अतः अब पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के 13 फरवरी, 2013 के आदेश सं. का.आ. 527(अ) के अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने से रोके जाने वाली

संबंधित चीजों को छोड़कर, उस आदेश का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2016 तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को इस अनुसूची के कालम (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में संवितरण की आपूर्ति के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	नब्बे प्रतिशत (90%)
(ii)	चीनी	बीस प्रतिशत (20%)

*नोट: सर्वप्रथम समग्र आवश्यकता के लिए पटसन बैगों की मांग की जाएगी और यदि पटसन मिले आवश्यकतानुसार पटसन बैग उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होगी तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दस प्रतिशत तक विलय किए जाने की अनुमति होगी।

उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- (क) विटामिनयुक्त परिपुष्ट चीनी।
 - (ख) वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकिंग।
 - (ग) खाद्यान्न के लिए दस कि.ग्रा. और उससे कम के तथा चीनी के लिए पच्चीस कि.ग्रा. और उससे कम के उपभोक्ता पैक।
 - (घ) सौ कि.ग्रा. से अधिक की बल्क पैकेजिंग।
 - (ङ) निर्यात के लिए पैक की गयी चीनी जिसका निर्यात नहीं किया जा सका।
2. केंद्र सरकार खाद्यान्न के लिए अधिकतम तीस प्रतिशत तक पटसन सामग्री में पैकिंग के लिए ये प्रावधान रीलिज कर सकती है।
3. खाद्यान्न पैकिंग के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अथवा प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अंतर्गत वितरण के उद्देश्य से खाद्यान्न की पैकिंग के लिए दस कि.ग्रा. और उससे अधिक पच्चीस कि.ग्रा. तक के उपभोक्ता पैक इस शर्त के अध्वधीन पटसन बैगों में पैक किए जाएंगे कि ऐसे पटसन बैग उच्च घनत्व वाले पोलि एथीलीन अथवा पोलि प्रोपीलीन बैगों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धी होंगे।

[फा. सं. 9/11/2015-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O. 126(E).—Whereas the Central Government under sub-section(1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) is empowered to specify the commodities or class of commodities or such percentage thereof which shall be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 360(E), dated the 13th February, 2013, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas the Central Government, after considering the recommendations made by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof required to be packed in jute packaging material;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 and in supersession of the Government of India in the Ministry of Textiles, order number S.O. 527(E), dated the 13th February, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th February, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, upto 30th June, 2016.

Schedule

Sl.No.	Commodities.	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India.
(1)	(2)	(3)
(1)	Foodgrains	*Ninety per cent. (90%)
(2)	Sugar	Twenty per cent. (20%)

* Note: In the first instance, the indents for the whole requirement would be placed for jute bags and in case jute mills would not be able to provide jute bags as per requisition, then a dilution upto ten per cent. would be permissible by the Department of Food and Public Distribution.

Provided that this shall not apply to the following, namely:—

- (a) sugar fortified with vitamins;
 - (b) packaging for export of commodities;
 - (c) consumer packs of ten kilograms and below for food grains and twenty five kilograms and below for sugar; and
 - (d) bulk packing of more than one hundred kilograms.
 - (e) sugar packed for export but which could not be exported.
2. The Central Government may release these provisions for packing in jute material up to a maximum of thirty per cent. for food grains.
 3. Consumer packs of ten kilograms and above up to twenty-five kilograms for packing of foodgrains meant for distribution under the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) shall be packed in jute bags, subject to the condition that such jute bags shall be cost competitive as compared to high density poly ethylene or poly propylene bags factoring in the subsidy or re-imburement provided by the Government of India for packing of foodgrains.

[F. No. 9/11/2015-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.